न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 30/2016

1. महावीर प्रसाद पुत्र स्व. बनवारीलाल जाति ब्राहम्मण निवासी वार्ड नंबर 18 मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।
2. गोविंद देव पुत्र स्व. बनवारीलाल जाति ब्राहम्मण निवासी वार्ड नंबर 18 मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।
3. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व. बनवारीलाल जाति ब्राहम्मण निवासी वार्ड नंबर 18 मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मलसीसर।

— रेस्पोडेन्टस

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार मलसीसर
मुकदमा उनवानी सरकार बनाम महावीर प्रसाद वगैरह
मु.नं. 03/16 निर्णय दिनांक 05.04.2016

उपस्थितिः—

1 .श्री विनोद गिल, एडवोकेट ———— ——— — ———अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट———————————राज0 राज्य की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 23.12.2019

उक्त अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार मलसीसर मुकदमा उनवानी सरकार बनाम महावीर प्रसाद वगैरह मु0नं0 3/16 निर्णय दिनांक 05.4.2016 के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अदालत मातहत ने अपीलार्थीगण को गलत तथ्यों के आधार पर गलत नोटिस दिया है, वहां मौके पर कोई रास्ता नहीं है, आम सडक बनी हुई हैं, जो 30 वर्ष पुरानी है,इसलिये सउक के समानान्तर केवल अपीलार्थीगण मात्र के खेत में रास्ता होना स्वतः असंभव है। अपीलार्थीगण के खेत में से सडक गई है, उक्त सडक पूर्व में जहां रास्ता था वहीं से गईहे, राजस्व कर्मचारियों ने गलती से 0.16 है0 भूमि गैर मु0 रास्ता की दर्ज की है। तरमीम की गलती के लिए

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

अपीलार्थीगण के विरूद्ध धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अदालत मातहत ने मौका निरीक्षण नहीं किया है। मौके पर रास्ते के कोई निशानाता नहीं हैं तथा जहां रास्तेका इन्द्राजातबना रहे हैं वहां काफी उंचा दिल्ला है जो हमेशा से था, जो रास्ता होना संभव नहीं है। अदालत मातहत ने मात्र रिकार्ड की अनियमितता को आधार मानकर अपीलार्थीगण को गलत नोटिस दिया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 5.4.2016 को निरस्त किया जावे या पत्रावली अदालत अदालत मातहत को इस निर्देश से प्रेषित की जावे कि मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट लेकर तथा मौका का अवलोकन कर पुनः निर्णय पारित करें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः– अदालत मातहत ने अपीलार्थीगण को गलत तथ्यों के आधार पर गलत नोटिस दिया है, वहां मौके पर कोई रास्ता नहीं है, आम सडक बनी हुई हैं, जो 30 वर्ष पुरानी है,इसलिये सउक के समानान्तर केवल अपीलार्थीगण मात्र के खेत में रास्ता होना स्वतः असंभव है। अपीलार्थीगण के खेत में से सडक गई है, उक्त सडक पूर्व में जहां रास्ता था वहीं से गईहै, राजस्व कर्मचारियों ने गलती से 0.16 है0 भूमि गैर मु0 रास्ता की दर्ज की है। तरमीम की गलती के लिए अपीलार्थीगण के विरूद्ध धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अदालत मातहत ने मौका निरीक्षण नहीं किया है। मौके पर रास्ते के कोई निशानाता नहीं हैं तथा जहां रास्तेका इन्द्राजातबना रहे हैं वहां काफी उंचा दिल्ला है जो हमेशा से था, जो रास्ता होना संभव नहीं है। अदालत मातहत ने मात्र रिकार्ड की अनियमितता को आधार मानकर अपीलार्थीगण को गलत नोटिस दिया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 5.4.2016 को निरस्त किया जाव।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट द्वारा राजकीय गै0मु0 रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर अपीलांट को नोटिस दिया जाकर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विवादित रास्ते की भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट का यह कथन कि गलत तरमीम के आधार पर उनको नोटिस जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट सक्षम न्यायालय में रिकार्ड दुरूस्ती की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि राजकीय गै0मु0 रास्ते की भूमि होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा हस्तगत प्रकरण में की गई कार्यवाही विधिसम्मत प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 0.4.2016 सरकार बनाम महावीर प्रसाद यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2020.01.08 17:52:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: